<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 228

17 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

इस्पात आयात पर पाटनरोधी शुल्क

228. श्री हरि मांझीः
श्रीमती कविता कलवकुंतलाः
श्री विष्णु दयाल रामः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने घरेलू इस्पात उद्योग को राहत प्रदान करने हेतु आयातित स्टेनलेस स्टील पर 57 प्रतिशत पाटनरोधी शुल्क लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस शुल्क को पांच वर्ष के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रावधान के अंतर्गत विभिन्न देशों से आयात किए गए इस्पात पर भिन्न-भिन्न शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया है जिसमें चीन के लिए अधिकतम 57 प्रतिशत और थाइलैंड के लिए न्यूनतम 5.39 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस्पात पर भिन्न-भिन्न दरों से शुल्क लगाने के क्या कारण हैं और इस्पात पर लगाए गए शुल्कों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>इस्पात राज्य मंत्री</u> **<u>श्री विष्णु देव साय</u>**

(क) जी हां । सरकार ने दिनांक 17.04.2014 की स्थितिनुसार चीन, कोरिया, यूरोपियन संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताईवान, थाईलैण्ड और यूएसए से स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर माल उतराई तक की लागत के 4.58 प्रतिशत से 57.39 प्रतिशत रेंज तक का एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है।

(ख) उपर्युक्त मदों पर एंटी-डंपिंग शुल्क दिनांक 11.12.2015 की सरकारी अधिसूचना के अनुसार अगले पांच वर्षो तक के लिए बढ़ाया गया था। अंतिम समीक्षा के पश्चात् यह पाया गया था कि:

(i) उपर्युक्त उल्लखित देशों/क्षेत्रों से इन वस्तुओं की निरंतर डंपिंग हुई है, जबकि, आयातों की मात्रा में कमी हुई है;

(ii) इन देशों से डंप्ड आयातों के प्रभाव के कारण वर्तमान घाटे की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में गिरावट हुई है;

(iii) डंपिंग के जारी रहने की संभावना है और यदि एंटी-डंपिंग शुल्क को हटाया गया तो घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट की संभावना है।

(ग) और (घ): एंटी-डंपिंग शुल्क को डंपिंग की मार्जिन के आधार पर लगाया जाता है जो देशों, उत्पादकों या निर्यातकों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकती है। तद्नुसार, विभिन्न निर्यातक देशों, उत्पादकों या निर्यातकों पर एंटी-डंपिंग शुल्कों की दरें भिन्न-भिन्न हैं। देश-वार लगाये गये शुल्क के ब्यौरे निम्नवत् हैं :-

क्र. सं.	**देश**	**आयातित मूल्य के प्रतिशत के रूप में एडीडी**
1	चीन गणराज्य	57.39%
2	कोरिया गणराज्य	5.39% से 13.44%
3	चीन ताईपे	15.93%
4	दक्षिण अफ्रीका	12.34% से 36.91%
5	थाइलैण्ड	4.58% से 5.39%
6	यू एस ए	9.47%
7	यूरोपियन संघ	29.41% से 52.56%

****